अभिनिर्णय आदेश

1. वाद संख्या	:	44 /2014–15
2. ग्राम	:	सोनारा
3. परगना व तहसील	:	बरौंसा, जयसिंहपुर
4. जनपद	:	सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	:	0.0983 हे0
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन	:	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 (टांडा–रायबरेली सेक्शन) के 36.000 कि0मी0 से 78.000 कि0मी0 चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र है	:	हां।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम	:	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई रायबरेली।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना प्रकाशन का दिनांक	:	अधिसूचना संख्या–क.अ.2934(अ) भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II–खण्ड 3– उपखण्ड (ii) नई दिल्ली, दिनांक 19.12.2012
10.धारा 3A की उपधारा (3) के प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक	:	1. दैनिक जागरण, दिनांक 22.01.2013 2. इण्डियन एक्सप्रेस, दिनांक 22.01.2013
11.उक्त अधिनियम की धारा 3D की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	:	अधिसूचना सं0–क.अ.2417 (अ) भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II– खण्ड 3– उपखण्ड (ii) नई दिल्ली, दिनांक 07.08.2013
12.उक्त अधिनियम की धारा 3G की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि	:	1. अमर उजाला दिनांक 07.09.2013 2. टाइम्स ऑफ इण्डिया दिनांक 07.09.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि	:	दिनांक 14.05.2015

क्रमशः पेज – 2

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरणः–

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	7,86,400.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु0)	––––––
	निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	–
	हैण्डपम्प, कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु0)	–––––
योग (रु0)		**7,86,400.00**
10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु0)		78,640.00
सम्पूर्ण योग (रु0)		**8,65,040.00**

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : **रु0 86,504.00**

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना) : **रु0 3.82 ×40 =152.80 या 183 रू0 (रू0 एक सौ तिरासी मात्र)**

अभिनिर्णय का औचित्य (अनुपूरक)

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 36.000 कि0मी0 से 78.000 कि0मी0 (टांडा–रायबरेली सेक्शन) के भू–खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद–सुलतानपुर के ग्राम– सोनारा, परगना बरौंसा व तहसील जयसिंहपुर में भूमि अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 19.12.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'दैनिक जागरण' एवं 'इण्डियन एक्सप्रेस' में दिनांक 22 जनवरी 2013 को प्रकाशित कराया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू–अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्रांक 91/आठ–उप0भू0अ0अ0 दिनांक 28/05/2013 द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में **0.0983**हे0 भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 07.08.2013 को प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G के अन्तर्गत प्रतिकर से सम्बन्धित दावों को प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों 'अमर उजाला', एवं 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', में दिनांक 07.09.2013 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी। उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

क्रमशः पेज –3–

ग्राम— सोनारा, परगना बरौंसा व तहसील जयसिंहपुर, जनपद— सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के (36.000 कि0मी0 से 78.000 कि0मी0 तक) (टांडा—रायबरेली सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि 0.2611हे0 का अभिनिर्णय अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29.01.2015 को घोषित किया जा चुका है। परन्तु इसी ग्राम में धारा 3(D) कि प्रतियों में से मात्र दो पन्ने पूर्व पत्रावली पर संलग्न किये गये थे। तीसरे पेज के पांच नम्बरान एवार्ड घोषित किये जाने से वंचित हो गये है। कार्यालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। इसके अनुसार गाटा संख्या 2245 का रकबा 0. 0003हे0, 2283रकबा 0.0040हे0, 2284रकबा 0.0130हे0, 2285रकबा 0.0170हे0 एवं 2290रकबा 0.0640हे0 का अंकन लिपिकीय त्रुटि वश छुटा हुआ है। कार्यालय द्वारा तैयार प्रपत्र खसरा एवं खतौनी देखा गया स्थिति स्पष्ट है कि उक्त गाटों का रकबा 0. 0983हे0 का अभिनिर्णय पूर्व में घोषित नही किया गया है। जिस कारण कतिपय कास्तकारान प्रभावित हो रहे है। पूर्व की भातिं इस ग्राम की भूमि का प्रतिकर कलेक्टर दर रू0 80.00,000.00/प्रतिहेक्टेयर के आधार पर अर्जित क्षेत्रफल 0.0983 हे0 का अभिनिर्णय घोषित किया जाता है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार की परिसम्पत्तियों का होना नही पाया जाता है।

निर्धारित दर के आधार पर अर्जित कृषिक भूमि 0.0983हे0 की प्रगणना निम्नवत् है:—

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	7,86,400.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु0)	————
	निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	—
	हैण्डपम्प, कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु0)	———
योग (रु0)		**7,86,400.00**
10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु0)		78,640.00
सम्पूर्ण योग (रु0)		**8,65,040.00**

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर 0.0983हे0 अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 7,86,400 इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से रू0 78,640.00 इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु0 8,65,040.00 रूपये (मु0 आठ लाख पैसंठ हजार चालीस मात्र) निर्धारित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय— कुल अभिनिर्णीत धनराशि रु0 **8,65,040.00** पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रु0 **86,504.00** रूपये अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029—भू राजस्व—800 अन्य प्राप्तियॉ 007—भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं'' में जमा किया जायेगा।

पूंजीकृत मूल्य—अर्जित भूमि के भू—राजस्व रु0 3.80 का 40 गुना रु0 152.80 या 153 रूपये (मु0एक सौ तिरपन रूपये मात्र) अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

क्रमश : पेज —4—

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर 0.0983हे0 भूमि की रूपये 3.80 की कमी माल गुजारी की स्वीकृति प्रदान करते हुए अभिनिर्णय रु0 **8,65,040.00**रूपये (मु0 आठ लाख पैसंठ हजार चालीस मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र–11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक 14.05.2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(वी0 के0 दोहरे)
सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी
जनपद–सुलतानपुर